

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०७ नवम्बर, 2016

विषय: वर्ष 2016-17 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु कम्बल क्रय के लिये ₹0 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) प्रति तहसील की दर से 342 तहसीलों हेतु ₹0 17,10,00,000/- (रूपये सत्रह करोड़ दस लाख मात्र) एवं अलाव जलाने हेतु ₹0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति तहसील के दर से 342 तहसीलों हेतु ₹0 1,71,00,000/- (रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) कुल ₹0 18,81,00,000/- (रूपये अठ्ठारह करोड़ इक्यासी लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| मण्डल का नाम | जनपद का नाम |              | तहसीलों की संख्या | कम्बल हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में) | अलाव हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में) | कुल धनराशि (रूपये में) |
|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1-सहारनपुर   | 1           | सहारनपुर     | 5                 | 25,00,000                            | 2,50,000                            | 27,50,000              |
|              | 2           | मुजफ्फरनगर   | 4                 | 20,00,000                            | 2,00,000                            | 22,00,000              |
|              | 3           | शामली        | 3                 | 15,00,000                            | 1,50,000                            | 16,50,000              |
| 2-मेरठ       | 4           | मेरठ         | 3                 | 15,00,000                            | 1,50,000                            | 16,50,000              |
|              | 5           | हापुड़       | 3                 | 15,00,000                            | 1,50,000                            | 16,50,000              |
|              | 6           | गाजियाबाद    | 3                 | 15,00,000                            | 1,50,000                            | 16,50,000              |
|              | 7           | बुलन्दशहर    | 7                 | 35,00,000                            | 3,50,000                            | 38,50,000              |
|              | 8           | गौतमबुद्धनगर | 3                 | 15,00,000                            | 1,50,000                            | 16,50,000              |
| 3-आगरा       | 9           | बागपत        | 3                 | 15,00,000                            | 1,50,000                            | 16,50,000              |
|              | 10          | आगरा         | 6                 | 30,00,000                            | 3,00,000                            | 33,00,000              |
|              | 11          | मथुरा        | 5                 | 25,00,000                            | 2,50,000                            | 27,50,000              |
|              | 12          | फिरोजाबाद    | 5                 | 25,00,000                            | 2,50,000                            | 27,50,000              |

|                |    |                |   |           |          |           |
|----------------|----|----------------|---|-----------|----------|-----------|
|                | 13 | मैनपुरी        | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
| 4-अलीगढ़       | 14 | अलीगढ़         | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
|                | 15 | एटा-           | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 16 | कासगंज         | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 17 | हाथरस          | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
| 5-बरेली        | 18 | बरेली          | 6 | 30,00,000 | 3,00,000 | 33,00,000 |
|                | 19 | बदायूँ         | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
|                | 20 | शाहजहाँपुर     | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
|                | 21 | पीलीभीत        | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
| 6-मुरादाबाद    | 22 | मुरादाबाद      | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
|                | 23 | रामपुर         | 6 | 30,00,000 | 3,00,000 | 33,00,000 |
|                | 24 | बिजनौर         | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
|                | 25 | अमरोहा         | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 26 | सम्भल          | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
| 7-कानपुर       | 27 | कानपुर नगर     | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
|                | 28 | कानपुर देहात   | 6 | 30,00,000 | 3,00,000 | 33,00,000 |
|                | 29 | इटवा           | 6 | 30,00,000 | 3,00,000 | 33,00,000 |
|                | 30 | फर्रुखाबाद     | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 31 | कन्नौज         | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 32 | औरैया          | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
| 8-इलाहाबाद     | 33 | इलाहाबाद       | 8 | 40,00,000 | 4,00,000 | 44,00,000 |
|                | 34 | फतेहपुर        | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 35 | प्रतापगढ़      | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
|                | 36 | कौशाम्बी       | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
| 9-झांसी        | 37 | झांसी          | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
|                | 38 | ललितपुर        | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
|                | 39 | जालौन          | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
| 10-चित्रकूटधाम | 40 | हमीरपुर        | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
|                | 41 | महोबा          | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 42 | बांदा          | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
|                | 43 | चित्रकूट       | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
| 11-वाराणसी     | 44 | वाराणसी        | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 45 | जौनपुर         | 6 | 30,00,000 | 3,00,000 | 33,00,000 |
|                | 46 | गाजीपुर        | 7 | 35,00,000 | 3,50,000 | 38,50,000 |
|                | 47 | चन्दौली        | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
| 12-मिर्जापुर   | 48 | मिर्जापुर      | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
|                | 49 | सोनभद्र        | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
|                | 50 | संत रविदास नगर | 3 | 15,00,000 | 1,50,000 | 16,50,000 |
| 13-आजमगढ़      | 51 | आजमगढ़         | 8 | 40,00,000 | 4,00,000 | 44,00,000 |
|                | 52 | मऊ             | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
|                | 53 | बलिया          | 6 | 30,00,000 | 3,00,000 | 33,00,000 |
| 14-गोरखपुर     | 54 | गोरखपुर        | 7 | 35,00,000 | 3,50,000 | 38,50,000 |
|                | 55 | महराजगंज       | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |
|                | 56 | देवरिया        | 5 | 25,00,000 | 2,50,000 | 27,50,000 |
|                | 57 | कुशीनगर        | 6 | 30,00,000 | 3,00,000 | 33,00,000 |
| 15-बस्ती       | 58 | बस्ती          | 4 | 20,00,000 | 2,00,000 | 22,00,000 |

|             |    |              |     |              |             |              |
|-------------|----|--------------|-----|--------------|-------------|--------------|
|             | 59 | सिद्धार्थनगर | 5   | 25,00,000    | 2,50,000    | 27,50,000    |
|             | 60 | संत कबीरनगर  | 3   | 15,00,000    | 1,50,000    | 16,50,000    |
| 16-लखनऊ     | 61 | लखनऊ         | 5   | 25,00,000    | 2,50,000    | 27,50,000    |
|             | 62 | उन्नाव       | 6   | 30,00,000    | 3,00,000    | 33,00,000    |
|             | 63 | रायबरेली     | 6   | 30,00,000    | 3,00,000    | 33,00,000    |
|             | 64 | सीतापुर      | 7   | 35,00,000    | 3,50,000    | 38,50,000    |
|             | 65 | हरदोई        | 5   | 25,00,000    | 2,50,000    | 27,50,000    |
|             | 66 | खीरी         | 7   | 35,00,000    | 3,50,000    | 38,50,000    |
| 17-देवीपाटन | 67 | गोण्डा       | 4   | 20,00,000    | 2,00,000    | 22,00,000    |
|             | 68 | बहराइच       | 5   | 25,00,000    | 2,50,000    | 27,50,000    |
|             | 69 | बलरामपुर     | 3   | 15,00,000    | 1,50,000    | 16,50,000    |
|             | 70 | श्रावस्ती    | 3   | 15,00,000    | 1,50,000    | 16,50,000    |
| 18-फैजाबाद  | 71 | फैजाबाद      | 5   | 25,00,000    | 2,50,000    | 27,50,000    |
|             | 72 | सुलतानपुर    | 5   | 25,00,000    | 2,50,000    | 27,50,000    |
|             | 73 | बाराबंकी     | 6   | 30,00,000    | 3,00,000    | 33,00,000    |
|             | 74 | अम्बेडकर नगर | 5   | 25,00,000    | 2,50,000    | 27,50,000    |
|             | 75 | अमेठी        | 4   | 20,00,000    | 2,00,000    | 22,00,000    |
|             |    |              | 342 | 17,10,00,000 | 1,71,00,000 | 18,81,00,000 |

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2016/548/18-2-2016-12(एस0पी0)/2010, दिनांक 12 अगस्त, 2016 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयतशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) क्रय किये जाने वाले कम्बलो का दर पूर्व में निर्धारित दर ₹0 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलो में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की उपरोक्तानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(4) आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विशाल के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री के लिये नहीं है।

(5) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।

(6) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गंवाये जरूरतमन्द व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(7) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 तक चिन्हित कर लिया जाय तथा दिनांक 10 दिसम्बर, 2016 तक क्रय किये गए कम्बलों आदि को कैम्प लगाकर वितरित करा दिया जाय।

(8) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव में न हो।

(9) निःशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा उसे राहत की वेबसाइट पर भी अवश्य फीड कराया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(11) कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की अद्यावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के फैक्स संख्या-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किए जाने के साथ ही राहत की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर प्रत्येक दिन शाम 04.00 बजे तक अवश्य अपलोड किया जाय।

2- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत

धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

3- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

4- कम्बलों के क्रय तथा उसकी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-2, 3 एवं 4 में निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

( अरविन्द कुमार )

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 1200 (1)/1-10-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यूपी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- वित्त द्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।